

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला बाड़मेर

राजस्थान प्रकरण मामला संख्या 119/2025 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
रायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी उण्डू

हड़मानराम पुत्र मंगाराम
जाति जाट निवासी जाटावास।

"निर्णय"

दिनांक - 24.10.2025

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सा. ने मौजा जाटावारा के खसरा नं. 490 रकबा 7.2843 हैक्टेयर किरम बा.अवल में से 0.40 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 18/- पूर्णांक में अक्षरे अठारह रूपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0310 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। भू0 अगिलेख निरीक्षक को फराल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 24.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
भिंयाड तह.शिव जिला -बाड़मेर

